संख्या-937/2017/2303/22-2-2017-17(585)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र श्री रमजान निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र श्री रमजान, जो ग्राम-मोहारी मजरे महुआमऊ, थाना-मोहम्मदपुर खाला, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। वादी प्रदुम्न कुमार ने अपने गांव की अजमतुल से कोर्ट मैरिज की थी, जिससे अजमतुल का चचेरा चाचा इस्लाम रंजिश रखता था। बंदी ने दिनांक 30.08.2001 को प्रदुम्न के लडके जिसकी आयु लगभग 02 वर्ष थी, की अद्धी से सीने पर गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-5/2002, 6/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 302, 506, 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0-28), बाराबंकी के आदेश दिनांक 31.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 15 वर्ष 09 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने वादी प्रदुम्न कुमार ने अपने गांव की अजमतुल से कोर्ट मैरिज किये जाने के कारण दिनांक 30.08.2001 को प्रदुम्न के 02 वर्षीय पुत्र की अद्धी से सीने पर गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, बन्दी छूटने से वादी के परिजन आक्रोशित होने से किसी घटना से इन्कार न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति/जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र श्री रमजान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी इस्लाम (बन्दी संख्या-900/2010) पुत्र श्री रमजान, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-937/2017/2303(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-937/2017/2303/22-2-2017-17(585)/2017

दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र श्री रमजान, जो ग्राम-मोहारी मजरे महुआमऊ, थाना-मोहम्मदपुर खाला, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। वादी प्रदुम्न कुमार ने अपने गांव की अजमतुल से कोर्ट मैरिज की थी, जिससे अजमतुल का चचेरा चाचा इस्लाम रंजिश रखता था। बंदी दिनांक 30.08.2001 को प्रदुम्न के लडके जिसकी आयु लगभग 02 वर्ष थी, की अद्धी से सीने पर गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-5/2002, 6/2002 में भा0द0वि0 की धारा- 302, 506, 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-28), बाराबंकी के आदेश दिनांक 31.01.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.04.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 15 वर्ष 09 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 06 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने वादी प्रदुम्न कुमार ने अपने गांव की अजमतुल से कोर्ट मैरिज किये जाने के कारण दिनांक 30.08.2001 को प्रदुम्न के 02 वर्षीय पुत्र की अद्धी से सीने पर गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, बन्दी छूटने से वादी के परिजन आक्रोशित होने से किसी घटना से इन्कार न होने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, समिति/जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इस्लाम पुत्र श्री रमजान को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in